न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 10/2024

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/46

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री बन्सीलाल पुत्र नानुलाल निवासी बोरवाडिया, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 09–07–2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री बन्सीलाल/ नानुलाल निवासी बोरवाड़िया ग्राम पंचायत बोरवानिया, उचित मुल्य दुकान बरजडिया भाग द्वितीय (6231) एवं अस्थायी उचित मुल्य दुकानदार मडकोला मोगजी भाग प्रथम (6246) का किया जा रहा था। श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.08.2022 को मडकोला मोगजी भाग प्रथम अस्थायी सेन्टर एवं 25.08.2022 को ग्राम पंचायत बोरवानिया के बरजडिया भाग द्वितीय की जांच की गई। जांच के दौरान मूल उचित मूल्य दुकान बरजडिया भाग द्वितीय पोस कोड 6231 का कुल 353.91 क्विं. गेहू एवं 538 किग्रा चीनी एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान मडकोला मोगजी भाग प्रथम पोस कोड 6246 का 302.02 क्विं गेहू का गबन पाया गया।उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 653.93 क्विं गेहूं की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा की दर से 1765611/– व 538 किग्रा चीनी की कीमत बाजार दर 40 रु प्रति किग्रा से 21520/– रु बनती है। गेहूं चीनी की कुल राशि 1787131/– रु. बनती है। उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु [illegible] 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्र. 247 दिनांक 24.09.202[illegible] थाना आनन्दपुरी [illegible] है। विभागीय प्रकरण में सुनवाई की जाकर 16.01.2023 को उनका प्राधिकार पत्र सं. 14[illegible]/2011 को निरस्त किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी डीलर श्री बन्सीलाल पुत्र नानुलाल निवासी बोरवाडिया, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा द्वारा गबन किये गए उपरोक्तानुसार गेहूं व चीनी की कुल राशि 1787131/– रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 1787131/–रु. वसूली का जारी किया गया। दिनांक 13.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री सुरज रावत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।दिनांक 19.12.2024 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ जिसमें उल्लेख किया कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नही की गई है। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नही था और जिसे उक्त व्यवस्था की जवाबदारी मैने दी थी वह समय पर नही पहुचा, जिस कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूं वितरण नही किया जा सका।

गेहूं स्टॉक जिसमे बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्तयोदय एवं एपीएल का नियमित गेहूं उपरोक्तानुसार वितरित समय समय पर किया गया है। इस संबंध में कोई अनियमितता नही बरती गई है एवं सम्बन्धित जांच अधिकारी बांसवाडा को भी अवगत करवा दिया गया था कि गेहूं स्टॉक के अनुसार पूर्ति करने हेतु तैयार हूं एवं कोई कमी नही है। किन्तु मेरा पक्ष सही तरिके से नही सुना गया। वितरण में देरी पोस मशिन में रिसिव नही करने के संबंध में कोई लापरवाही नही बरती गई थी।

डीलर द्वारा उचित मुल्य दुकानदार बरजडिया भाग द्वितीय पोस कोड 6231 का कुल 353.91 क्विं गेहूं एवं 538 किग्रा चीनी को खुर्द बुर्द नही किया एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मुल्य दुकान मडकोला मोगजी भाग प्रथम पोस कोड 4256 का 302.02 क्विं. गेहूं का गबन नही किया। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 653.93 क्विं. व 538 किग्रा चीनी की कुल राशि 1787131/– रु. का गबन मेरे द्वारा नही किया गया है। उक्त नोटिस को निरस्त किया जावे।

दिनांक 01.05.2025, 15.05.2025, 30.05.2025, 18.06.2025, 02.07.2025 व आज दिनांक 09.07.2025 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी [illegible] के अधिवक्ता को बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु अप्रार्थी व उनके [illegible] अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओ[illegible] प्रस्तुत एकक्षीय बहस सुनी। विभागीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला क[illegible]
बांसवाड़ा (राज.)

पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि श्री बन्सीलाल/ नानुलाल निवासी बोरवाडिया ग्राम पंचायत बोरवाडिया, उचित मुल्य दुकान बरजडिया भाग द्वितीय (6231) एवं अस्थायी उचित मुल्य दुकानदार मडकोला मोगजी भाग प्रथम (6246) का किया जा रहा था। श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 17.08.2022 को मडकोला मोगजी भाग प्रथम अस्थायी सेन्टर एवं 25.08.2022 को ग्राम पंचायत बोरवानिया के बरजडिया भाग द्वितीय की जांच की गई। जांच के दौरान मूल उचित मूल्य दुकान बरजडिया भाग द्वितीय पोस कोड 6231 का कुल 353.91 क्विं. गेहूं एवं 538 किग्रा चीनी एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान मडकोला मोगजी भाग प्रथम पोस कोड 6246 का 302.02 क्विं गेहूं का गबन पाया गया। विस्तृत जांच रिपोर्ट पत्रावली के साथ संलग्न है। उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 653.93 क्विं गेहूं की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा की दर से 1765611/– व 538 किग्रा चीनी की कीमत बाजार दर 40 रु प्रति किग्रा से 21520/– रु बनती है। गेहूं चीनी की कुल राशि 1787131/– रु. बनती है। उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्र. 247 दिनांक 24.09.2022 थाना आनन्दपुरी में दर्ज करवाई गई है। विभागीय प्रकरण में सुनवाई की जाकर 16.01.2023 को उनका प्राधिकार पत्र सं. 1456/2011 को निरस्त किया गया।

अप्रार्थी डीलर श्री बन्सीलाल पुत्र नानुलाल निवासी बोरवाडिया, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा द्वारा गबन किये गए उपरोक्तानुसार गेहूं व चीनी की कुल राशि 1787131/– रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के स्वीकृत फरमावे।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर श्री बन्सीलाल पुत्र नानुलाल निवासी बोरवाडिया, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा द्वारा मूल उचित मूल्य दुकान बरजडिया भाग द्वितीय पोस कोड 6231 का कुल 353.91 क्विं. गेहूं एवं 538 किग्रा चीनी एवं अस्थायी वितरण हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकान मडकोला मोगजी भाग प्रथम पोस कोड 6246 का 302.02 क्विं गेहूं का गबन पाया गया।उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 653.93 क्विं गेहूं व 538 किग्रा चीनी का गबन किया गया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सख्या 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 15 व 17सी का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आनन्दपुरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा उनके प्रकरण सं. 60/2022 में निर्णय दिनांक 16.01.2023 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1456/2011 निरस्त किया है।

अप्रार्थी डीलर श्री बन्सीलाल पुत्र नानुलाल निवासी बोरवाडिया, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा द्वारा 154.58 क्विं गेहूं का गबन किया गया। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार विभाग अनुसार उक्त दोनो सेन्टरो का कुल 653.93 क्विं गेहूं की कीमत 27 रु. प्रति किग्रा की दर से 1765611/- व 538 किग्रा चीनी की कीमत बाजार दर 40 रु प्रति किग्रा से 21520/- रु बनती है। गेहूं चीनी की कुल राशि 1787131/- रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री बन्सीलाल पुत्र नानुलाल निवासी बोरवाडिया, तहसील आनन्दपुरी, जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत राशि विभाग अनुसार 1787131/- रु. अक्षरे सत्रह लाख सत्तासी हजार एक सौ इकतीस रुपया मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09-07-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:12 IST
Reason: SelfAttested